

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 517]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 22, शक 1938

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

अधि. (35) क्र. एफ 1-23-2016-अठारह-3-वार्ड आरक्षण-2016.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम-1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, मांडव, जिला धार के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

अनु. क्र.	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम	
			वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड	0	-	-
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्ड	13	01	गदाशाह वार्ड
			03	जहाजमहल वार्ड
			05	रामपुरा वार्ड
			06	लाल बंगला वार्ड
			07	दरिया खां वार्ड
			08	नीलकण्ठ वार्ड
			09	तारापुर गेट वार्ड
			10	ईकोपाईण्ट वार्ड
			11	रानी रूपमति वार्ड
			12	भगवान्या गेट वार्ड
			13	मानसिंगी वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			14	कनडीपुरा वार्ड
			15	जहागीर पुर गेट वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित वार्ड	0	-	-
4	अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड.	0	-	-
5	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड.	07	01	गदाशाह वार्ड
			03	जहाजमहल वार्ड
			08	नीलकण्ठ वार्ड
			10	ईकोपाईण्ट वार्ड
			11	रानी रूपमति वार्ड
			14	कनडीपुरा वार्ड
			15	जहागीर पुर गेट वार्ड
6	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड.	0	-	-
7	महिलाओं के लिए (उक्त क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	01	02	श्रीराम मंदिर वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

अधि. (36) क्र. एफ 1-24-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद्, अमरकंटक, जिला अनूपपुर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	09 मारकण्डेय वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	06	01 जालेश्वर वार्ड 02 बैतरणी वार्ड 03 गांधी वार्ड 04 काटजू ग्राम वार्ड 07 कपिलधार वार्ड 08 कपिला संगम वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	निरंक	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	03	03 गांधी वार्ड 07 कपिलधर वार्ड 08 कपिला संगम वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	निरंक	निरंक
7	महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित कुल वार्ड.	04	06 गुम्माघाटी वार्ड 10 मैकल वार्ड 13 टिकुरी टोला वार्ड 14 नर्मदा वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.